

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 317 / चार-प्रावि0 / वन भूमि / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2019-20,
सेवा में,

दिनांक- 09 / 07 / 2019,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत बूंगीधार-मेहलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग कि.मी. 12 से कोलानी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.775 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर का कार्यालय पत्रांक 3661/12-1, गोपेश्वर, दिनांक 26.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर गोपेश्वर का E.D.S दिनांक 26.06.2019 के क्रम में बूंगीधार-मेहलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग कि.मी. 12 से कोलानी लिंक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर इंगित कमियों की बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है:-

S.n.	E.D.S. CF.	Reply by User Agency
1	Kml file has not Uploded at Para 13 form A, Part-II.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
2	As seen from the KML file the road beyond the connecting village, Hence user agency may provide suitable KML for alignment & excess alignment need not to be forwarded.	उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि बूंगीधार-मेहलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग कि.मी. 12 से कोलानी लिंक मोटर मार्ग से संयोजन हेतु लक्षित बसावट कोलानी (जनसंख्या 305) मार्ग के किमी0 02 में आता है, जबकि ग्रामसभा कोलानी की अन्य तोक (नौगाँव, गोगीना) उक्त मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु (क्रास सैक्सन 4/40 से 5/4) किमी0 5.10 तक फैली हुयी है। जिससे नौगाँव, गोगीना तोकों को संयोजित करने के उपरान्त ही बसावट कोलानी पूर्णत संयोजित हो पायेगी। जिस कारण उक्त मोटर मार्ग नौगाँव एवं गोगीना तक विस्तारित किया गया है।
3	Some other documents has been uploaded in the place of Justification at section D (I) in Form A, Part-I	Online Part-I के Column D(I) में संशोधन कर Upload कर दिया गया है।
4	Aerial distance certificate, CA site suitability certificate, & CA Scheme have not been uploaded at additional information in Form A, Part-II.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।

अतः उक्तानुसार सूचना इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि उक्त वनभूमि प्रस्ताव पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही उपरान्त अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।